"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 476] रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 सितम्बर 2015— आश्विन 4, शक 1937

मछली पालन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-2/36/तक./2014-15. — छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1948 (क्र. आठ सन् 1948) की धारा 4-क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, क्लेरियस गेरीपिनियस (एक्जोटिक मांगुर) एवं हाइपोथ्थेलमिक्थीस नोबीलीस (बिग हेड) को राज्य में उसके पालन, संवर्धन, आयात, निर्यात, विक्रय, परिवहन तथा विपणन के प्रयोजन के लिये "प्रतिषिद्ध मत्स्य" के रूप में अधिसूचित करती है.

No. F 6-2/36/Tech/2014-15. — In exercise of the powers conferred by Section 4-A of the Chhattisgarh Fisheries Act, 1948 (No. VIII of 1948), the State Government, hereby, notifies Clarias Gariepinus (Exotic Magur) and Hypophthalmichthys Nobilis (Big head) as "prohibited fishes" for the purpose of breeding, culture, import, export, sale, transport and trade in the State.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनूप कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.